

गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 09:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो० सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो० एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ० बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
15.	डॉ० बी.आर. रावटे	सदस्य
16.	डॉ० पायल बनर्जी	सदस्य
17.	प्रो० व्ही.एस. राठौर	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा कुलपति महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों से आपस में मिल-जुल कर सहयोग के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणादायी उद्घोषन प्रदान किया गया। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

Q
Out of 1/2023

Abu
04/07/23
(1)

विषय क्र. 03. विश्वविद्यालय में बॉटनिकल गार्डन, हर्बल गार्डन एवं श्रीअन्न उत्पादन एवं परीक्षण केन्द्र की स्थापना के संबंध में विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में बॉटनिकल गार्डन, हर्बल गार्डन एवं श्रीअन्न उत्पादन एवं परीक्षण केन्द्र की स्थापना संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 04. वाणिज्य विभाग द्वारा Tally Software के लिए सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ करने पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि वाणिज्य विभाग द्वारा Tally Software के लिए सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं यथाशीघ्र पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन/प्रवेश शुल्क 5,000/- रखा जाय।

विषय क्र. 05. प्रबंध अध्ययन विभाग द्वारा वैमानिकी एवं अतिथि सत्कार विषय पर पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रबंध अध्ययन विभाग द्वारा वैमानिकी एवं अतिथि सत्कार विषय पर पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का संशोधनों के साथ अनुमोदन किया जाय तथा यथाशीघ्र पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त पाठ्यक्रम को चलाने के लिए विश्वविद्यालय के अधीन पृथक से Institute स्थापित करने तथा परिनियम/अध्यादेश प्रारूपित करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 06. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2017 को प्रौद्योगिकी संस्थान में नियुक्त शिक्षकों को CAS के अंतर्गत अर्हता प्रदान करने हेतु प्रदत्त छूट पर पुनर्विचार के संबंध में विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2017 को प्रौद्योगिकी संस्थान में नियुक्त शिक्षकों को CAS के अंतर्गत अर्हता प्रदान करने संबंधी छूट के प्रावधानों को अमान्य करते हुए तत्संबंधी अधिसूचना निरस्त की जाय।

विषय क्र. 07. विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को विश्वविद्यालय के वेबपटल पर अपलोड किये जाने पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक अनुमोदन किया जाय एवं इसे विश्वविद्यालय के वेबपटल पर अपलोड किये जाने संबंधी कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 08. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के नवीन सेमेस्टर शुल्क संरचना पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के नवीन सेमेस्टर शुल्क संरचना संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अधिष्ठातागणों द्वारा सुझाये गये संशोधनों के साथ अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.-1 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 01.07.2023 के कार्यवृत्त प्रस्तुत किये गये, जिसमें अधिष्ठातागणों द्वारा चतुर्थ एवं छठवें सेमेस्टर की परीक्षायें दिनांक 24.07.2023 से कराये जाने की अनुशंसा की गई तथा पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु शनिवार एवं रविवार को भी कक्षायें संचालित करने की अनुशंसायें की गई हैं। स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 01.07.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.-2 विश्वविद्यालय के वानिकी, वन्यजीव एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा शोध पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले दो उम्मीदवारों के प्रकरण प्रस्तुत किये गये।

स्थायी समिति ने यह पाया कि उक्त उम्मीदवारों के द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं प्रवज्ञ प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया गया है, अतः ऐसी स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों को उक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं है।

अ.अ.वि.क्र.-3 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष शोध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक तीन उम्मीदवार मिस रचना, श्री शिव कुमार एवं श्री सुजीत सोमसुन्दर बी. से प्राप्त आवेदनों को प्रस्तुत किया गया। उक्त तीनों आवेदकों ने प्री-पीएच.डी. कोर्सवर्क से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी शोध विनियम 2022 एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय शोध विनियम 2023 में कोर्सवर्क से छूट प्रदान करने संबंधी प्रावधान नहीं हैं, अतः स्थायी समिति यह निर्णय लेती है कि उक्त तीनों आवेदकों को विश्वविद्यालय में प्री-पीएच.डी. कोर्सवर्क पूर्ण करना होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव

०५/०७/२०२३
कुलपति / अध्यक्ष